

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 20225 / 358

दायरा तिथि : 01.07.25

आदेश तिथि : 23-07-2025

प्रार्थी :-

जोगेश दमामी पुत्र प्रभुलाल जाति ढोली निवासी बोया तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
2. शंकरलाल पुत्र खंगाराराम जाति मेघवाल निवासी बिसलपुर
3. श्रीमती कुमारी विजयश्री पत्नी रविन्दकुमारजी जाति राजपूत निवासी कांकरोली जिला राजसमंद

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 23-07-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1046 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2555/2547 रकबा 0.0138 हैक्टर व अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर के खसरा नंबर 1045 रकबा 1.0700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 2556/2547 रकबा 3.2459 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय प्रतियां की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/2247 दिनांक 23.07.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलायमान है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1045	1.07 हैक्टर	बा.दो.	75X09=675 वर्गमीटर	शंकरलाल पुत्र खंगाराराम कौम मेघवाल सादेह खातेदार
2	2556/2547	3.2459 हैक्टर	बा.दो.	18X09=162 वर्गमीटर	कुमारी विजयश्री पत्नी रविन्द्र कुमार कौम राजपूत निवासी कांकरोली

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख बिसलपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,50,000/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1046 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1046 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा 1045 रकबा 1.0700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 2556/2547 रकबा 3.2459 हैक्टर में से 675+162= 837 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रमावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 350000/-रुपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1045	1.07 हैक्टर	75X09=675 वर्गमीटर	35	23625X2=47250	शंकरलाल पुत्र खंगाराराम कौम मेघवाल सादेह खातेदार
2556/2547	3.2459 हैक्टर	18X09=162 वर्गमीटर	35	5670X2=11340	कुमारी विजयश्री पत्नी रविन्द्र कुमार कौम राजपूत निवासी कांकरोली

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 58590/- (अक्षरे अठायन हजार पांच सौ नब्बे रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पत्राचार द्वारा भिजावारी तहसील फौरन शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2025/392-996
प्रतिलिपि निर्माकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जोगेश दमामी पुत्र प्रगुलाल जाति ढोली निवासी बोया तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 23/07/25

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

